

भारत की शिक्षा प्रणाली में नवाचार और परंपरा: नीति- निर्माण का विश्लेषण

वंदना कुमारी¹ and डॉ. हरीचंद²

शोधार्थी, विभाग शिक्षा¹

शोध निर्देशक, विभाग शिक्षा²

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश:

कोठारी आयोग से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 तक फैली भारतीय शिक्षा नीति का विकास, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने और शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास को दर्शाता है। कोठारी आयोग (1964-66) ने मुफ्त शिक्षा और सामाजिक न्याय की वकालत की। NPE 1968 ने समान अवसरों पर जोर देते हुए 10+2+3 प्रणाली की शुरुआत की। NPE 1986 ने मूल्यों और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। NCF 2005 का लक्ष्य बोझ-मुक्त, समग्र पाठ्यक्रम बनाना था। RTE अधिनियम 2009 ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की। NEP 2020 5+3+3+4 संरचना, बहुभाषावाद और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है। यह प्रगति एक गतिशील वैश्विक परिदृश्य के जवाब में अपनी शिक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

मुख्य शब्द: परंपरा, परिवर्तन, तुलनात्मक अध्ययन, भारत, शिक्षा नीतियाँ, समय के साथ, शैक्षिक परिवर्तन, नीति विकास।

परिचय

भारत के शैक्षिक परिदृश्य ने पिछले कुछ दशकों में एक गतिशील परिवर्तन देखा है, जो प्रभावशाली नीतिगत हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला द्वारा प्रेरित है। यह शोध पत्र भारत की शैक्षिक नीति रूपरेखा में प्रमुख मील के पत्थरों की गहन जांच प्रदान करने का प्रयास करता है, जो कि मौलिक कोठारी आयोग से लेकर परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक के प्रक्षेपवक्र का पता लगाता है।

1964 में गठित कोठारी आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य मौजूदा ढांचे में सुधार करना और शिक्षा के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) शैक्षिक विकास के लिए एक खाका के रूप में उभरी, जिसमें सभी के लिए समान पहुंच और अवसरों पर जोर दिया गया।

एनपीई 1968 द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करते हुए, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) ने समकालीन चुनौतियों का समाधान करने और शिक्षा के उद्देश्यों को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। इस अवधि में शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि और प्रौद्योगिकी के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (एनसीएफ 2005) ने देश में शिक्षा की विषय-वस्तु और वितरण को आकार देने वाले एक और महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व किया। शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण की वकालत करके, एनसीएफ 2005 ने आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और विषयों की समग्र समझ पर जोर दिया।

वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई अधिनियम 2009) के अधिनियमन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक मौलिक कदम है।

इन ऐतिहासिक विकासों की परिणति 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की शुरुआत के साथ हुई। एनईपी 2020 में शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव की परिकल्पना की गई है, जो इसे 21वीं सदी की मांगों के अनुरूप बनाती है। लचीलेपन, बहुविषयकता और शोध एवं नवाचार पर जोर देते हुए, एनईपी 2020 भारत में शिक्षा की अवधारणा और वितरण के तरीके में एक आदर्श बदलाव के लिए मंच तैयार करता है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य इन प्रमुख शैक्षिक नीतियों के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, उनके उद्देश्यों, प्रभावों और व्यापक सामाजिक संदर्भ की जांच करना है जिसके भीतर वे सामने आए। ऐसा करके, हम भारत में नीतिगत निर्णयों और शैक्षिक परिदृश्य के बीच जटिल अंतर्संबंध की सूक्ष्म समझ में योगदान देना चाहते हैं।

उद्देश्य:

1. कोठारी आयोग के बारे में जानें
2. . राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1968 के बारे में जानें
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 के बारे में जानें

4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (एनसीएफ 2005) के बारे में जानें
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई अधिनियम 2009) के बारे में जानें
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानें

कोठारी आयोग:

कोठारी आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1964-1966 में शिक्षा प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए की गई थी। डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आयोग ने 29 जून, 1966 को "शिक्षा और राष्ट्रीय विकास" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के मुख्य उद्देश्य मौजूदा शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और अकादमिक पुनर्निर्माण के लिए सुधारों का प्रस्ताव करना था।

कोठारी आयोग के उद्देश्य (1964-66)

1. शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए एक नया, अधिक केंद्रित प्रयास शुरू करने के लिए शैक्षिक प्रणाली का गहन मूल्यांकन करना।
2. एक ऐसा पाठ्यक्रम और नीतियाँ बनाना जो शिक्षा को उसके सभी रूपों और चरणों में आगे बढ़ाए और इस मामले पर भारत सरकार को सलाह देना।

कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें:

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा: आयोग ने छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की।
2. भाषाएँ: इसने राज्य सरकारों द्वारा त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन की सिफारिश की। इसका उद्देश्य हिंदी भाषी राज्यों में दक्षिणी राज्य की भाषा के उपयोग को बढ़ावा देना और गैर-हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को प्रोत्साहित करना था।
3. भाषा उन्नति: आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं, विशेष रूप से अंग्रेजी और संस्कृत जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

4. शिक्षक कल्याण: कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिए अनुकूल और पर्याप्त कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करने के साथ-साथ शोध और ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यक शैक्षणिक स्वतंत्रता पर जोर दिया।
 5. सामाजिक न्याय: सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देते हुए आयोग ने लड़कियों, वंचित वर्गों के सदस्यों, आदिवासी समुदायों और शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की।
 6. विज्ञान और गणित शिक्षा: राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और गणित के महत्व को पहचानते हुए आयोग ने पाठ्यक्रम में उन्हें शामिल करने का प्रस्ताव रखा।
 7. विश्वविद्यालय शिक्षा: आयोग ने स्नातकोत्तर शोध और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाने के लिए सिफारिशें प्रदान कीं। इसने पर्याप्त धन, अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर जोर दिया।
- संक्षेप में, कोठारी आयोग ने पढ़ाई, भाषा, शिक्षक कल्याण, सामाजिक न्याय और विज्ञान एवं गणित शिक्षा के महत्व से संबंधित मुद्दों को संबोधित करके भारत में शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य देश में अधिक समावेशी और समग्र शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1968:

- 1 अनुच्छेद 45 के तहत निर्देशक सिद्धांत:
भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 45) को पूरा करने के उद्देश्य से, जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत करता है।
देश भर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- 2 समान अवसर और समावेशी शिक्षा:
देश भर के नागरिकों के लिए समान अवसर सृजित करने का विजन।
दिव्यांग बच्चों, ग्रामीण, पिछड़े या आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए शैक्षिक सुविधाओं में सुधार पर विशेष जोर।
- 3 त्रिभाषा फार्मूला: संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार 'त्रिभाषा फार्मूला' लागू करना, जिससे देशभर में हिंदी के विकास को बढ़ावा मिले।

4 माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए सुविधाएँ:

माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधाएँ बढ़ाने की आवश्यकता को मान्यता, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में।
रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर ज़ोर।
कृषि, व्यापार, चिकित्सा, कला, शिल्प, वाणिज्य और गृह प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं में सुधार।
नए विश्वविद्यालयों की स्थापना।

5 वयस्क शिक्षा:

जनता के भीतर कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देना।
साक्षरता अभियानों के माध्यम से उद्योगों में कर्मचारियों के लिए लक्षित शिक्षा।
स्वरोजगार के बेहतर अवसरों के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने पर जोर।

6 शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता: शिक्षकों की स्थिति को बेहतर बनाने और उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षकों के पारिश्रमिक और सेवा शर्तों में सुधार पर जोर।
शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा पर ध्यान देना।

7 शैक्षिक प्रणाली का पुनर्गठन: शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर शैक्षिक प्रणाली के लिए एक नई संरचना का कार्यान्वयन। छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में बनाए रखने के लिए एक समान स्कूली शिक्षा पैटर्न (10+2+3) की शुरूआत।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:

अपने दूरदर्शी उद्देश्यों के बावजूद, एनपीई 1968 को सार्वभौमिक शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
इसे धन की कमी से जूझना पड़ा, जिससे राष्ट्रीय आय के 6% के लक्षित व्यय स्तर तक पहुँचने की इसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई।

विरासत और प्रभाव:

एनपीई 1968 ने भारत में शिक्षा को मानकीकृत करने और एक संरचित ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10+2+3 स्कूली शिक्षा पैटर्न शुरू करने और शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986:

1 संवैधानिक सिद्धांत:

भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से प्रेरणा प्राप्त करता है।

2 शिक्षा तक पहुंच:

इसका उद्देश्य एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाना है जो जाति, धर्म, स्थान या लिंग के बावजूद सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करे।

सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम और समान स्कूल प्रणाली के लिए प्रयास।

3 सामान्य शिक्षा संरचना:

10+2+3 की एक सामान्य शैक्षिक संरचना की वकालत की गई है, जिसमें 5 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा की एक प्रारंभिक प्रणाली की ओर बढ़ने का प्रयास किया गया है।

4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा:

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, संवैधानिक दायित्वों और राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए अन्य घटकों सहित एक सामान्य सार के साथ एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश की गई है।

5 सीखने पर जोर:

शिक्षकों को ऐसा वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जहां छात्र अपनी रचनात्मकता के माध्यम से सीख सकें।

6 शिक्षा का व्यावसायीकरण:

शिक्षा के युक्तिकरण को महत्व दिया गया, बेरोजगारी को कम करने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया।

7 नैतिक मूल्यों का महत्व:

समाज में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के महत्व पर बल दिया गया।

8 परीक्षा प्रणाली में सुधार:

निराशा और चिंता को कम करने के लिए विभाजन के बजाय ग्रेडिंग का सुझाव दिया गया है।

समय-समय पर परीक्षाएं आयोजित करने की सिफारिश की गई है और शिक्षकों को अपने छात्रों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

9 कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा:

विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों और लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया जाता है।

10 निरंतर प्राथमिक विद्यालय:

प्राथमिक विद्यालयों को पूरे वर्ष कम से कम दो कक्षाओं और दो शिक्षकों के साथ संचालित करने की वकालत की गई, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

11 परिचालन ब्लैकबोर्ड:

स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय निकायों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए परिचालनात्मक ब्लैकबोर्ड की अवधारणा प्रस्तुत की गई।

12 अखिल भारतीय शिक्षा सेवा:

शैक्षिक प्रशासन में सुधार और क्षेत्रवाद को कम करने के लिए अखिल भारतीय शैक्षिक सेवा की आवश्यकता पर बल दिया गया।

13 नवोदय विद्यालय:

राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रवेश परीक्षा के आधार पर कक्षा VI में छात्रों को प्रवेश देने वाले निःशुल्क आवासीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई है।

14 नये शैक्षणिक संस्थान: शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करने और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को सूचित करने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) और जिला शिक्षा बोर्ड (डीबीई) के निर्माण का प्रस्ताव है।

15 Modernization of Education:

Advocates the use of computer education, correspondence courses, television, radio, satellite, and video-assisted learning in expanding literacy and modernizing education.

16 महिला समानता पर शिक्षा:

महिलाओं की स्थिति में बुनियादी बदलाव के लिए शिक्षा को एक एजेंट के रूप में उपयोग करता है, व्यावसायिक-तकनीकी और पेशेवर शिक्षा में उनकी भागीदारी पर जोर देता है। विशेष सहायता सेवाओं के माध्यम से महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने को प्राथमिकता देता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (एनसीएफ 2005):

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (एनसीएफ 2005) भारत में चौथा ऐसा ढांचा है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया था, जिसमें "बोझ के बिना सीखना" की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह ढांचा शिक्षकों और स्कूलों को बच्चों के लिए अनुभवों की योजना बनाने के लिए एक

संरचना प्रदान करता है और पाठ्यक्रम को आवश्यक अनुभवों को व्यक्त करने के साधन के रूप में अवधारणाबद्ध करता है।

सिद्धांत:

1 ज्ञान को जीवन से जोड़ना:

पाठ्यक्रम को ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। सीखने को रटने के तरीकों से दूर किया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम को पाठ्यपुस्तक-केंद्रित होने के बजाय समग्र विकास प्रदान करने के लिए समृद्ध किया जाना चाहिए।

2 मार्गदर्शक सिद्धांत:

रटने की बजाय सार्थक सीखने के अनुभवों की ओर कदम बढ़ाएँ।

समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाएँ।

परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाएँ और कक्षा जीवन में एकीकृत करें।

लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर देखभाल करने वाली चिंताओं से प्रेरित एक पहचान का पोषण करें।

सीखना और ज्ञान:

1 समग्र विकास:

पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को मूल्यवान, सुने जाने योग्य और सुरक्षित महसूस कराना तथा उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

2 समावेशी शिक्षा:

सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा और पाठ्यक्रम लचीलेपन को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें विकलांग विद्यार्थी भी शामिल हैं।

3 रचनात्मक शिक्षा:

चुनौतियों, रचनात्मक संभावनाओं और सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। बेहतर सीखने की संभावनाओं के लिए साथियों, शिक्षकों और बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ बातचीत को प्रोत्साहित किया जाता है।

4 मजबूत नींव:

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर छात्रों को तार्किक सोच, अवधारणाओं, भाषा, ज्ञान, जांच और सत्यापन तकनीकों का पता लगाने और विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण और मूल्यांकन:

1 भाषा:

बहुभाषी कक्षाओं का उपयोग संसाधन के रूप में करें। बच्चे की घरेलू भाषा का सम्मान करें और बहुभाषी संचार को बढ़ावा दें।

2 गणित:

एक महत्वाकांक्षी, सुसंगत पाठ्यक्रम पर जोर देता है जो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाता है। गणित को आनंददायक बनाने और सूत्रों से परे समझ को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है।

3 कंप्यूटर:

व्याख्यात्मक तर्क और उच्च-क्रम कौशल विकसित करने के लिए कंप्यूटर का परिचय। पाठ्यक्रम लेनदेन और व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों के लचीले मॉडल को बढ़ावा देता है।

4 विज्ञान:

विभिन्न चरणों में जिज्ञासा को बढ़ावा देने, व्यावहारिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ जुड़ाव पर जोर दिया जाना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

5 सामाजिक विज्ञान:

प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को भाषाओं और गणित में एकीकृत करता है। पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) की शुरुआत करता है।

6 कला शिक्षा:

कौशल और क्षमताओं को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में कला को शामिल करने का आग्रह किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों को देश की समृद्ध कलात्मक परंपराओं से परिचित कराना है।

7 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा:

समग्र विकास के लिए इस विषय के महत्व को मान्यता दी गई है। प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक इसे अनिवार्य विषय बनाने की वकालत की गई है।

8 कार्य और शिक्षा:

कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में कार्य-संबंधी शिक्षा को एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को उत्पादन या सेवा-उन्मुख गतिविधियों में शामिल करना है।

8 शांति शिक्षा:

नैतिक विकास, मूल्यों और स्वयं तथा दूसरों के साथ सद्भाव में रहने के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव अधिकारों, न्याय, सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसक संघर्ष समाधान के लिए सम्मान को प्रोत्साहित करता है।

10 सीखने का आवास:

महत्वपूर्ण चिंताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न विषयों में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करता है। ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है जो आवास की समझ और देखभाल विकसित करती हैं।

11 आकलन एवं मूल्यांकन:

सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत एक अच्छी मूल्यांकन प्रणाली की वकालत।

12 स्कूल और कक्षा का वातावरण:

स्कूलों में अनुकूल भौतिक वातावरण, समानता और न्याय के महत्व पर जोर दिया गया। दिव्यांग और हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए समावेश की नीति को प्रोत्साहित किया गया।

13 प्रणालीगत सुधार:

पाठ्यक्रम को समर्थन देने के लिए शिक्षक तैयारी, निगरानी और विकासात्मकता सहित प्रभावी प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई अधिनियम 2009):

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे आरटीई अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त, 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) के तहत भारत में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार स्थापित करता है। यह अधिनियम देश में शैक्षिक असमानताओं को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बनाया गया है।

उद्देश्य: 1 अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा:

अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि सरकार को कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को निकटवर्ती स्थानीय स्कूलों में निःशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच में बाधा डालने वाली फीस या अन्य लागतों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

2 बेंचमार्क और मानक:

यह अधिनियम छात्र-शिक्षक अनुपात, कक्षा-कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा, स्कूल-कार्य दिवस आदि से संबंधित मानक और बेंचमार्क स्थापित करता है। ये मानक भारत के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की न्यूनतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

3 विशेष प्रावधान:

अधिनियम में स्कूल न जाने वाले बच्चों को आयु-उपयुक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने तथा उन्हें आयु-उपयुक्त शिक्षण स्तर तक लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।

4 शिक्षकों की गुणवत्ता:

यह अधिनियम आवश्यक योग्यताओं के साथ उचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करता है तथा संतुलित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखता है।

5 भेदभाव और उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता:

यह कानून शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न और लिंग, जाति, धर्म और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाता है। प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग पद्धति, कैपिटेशन फीस, निजी ट्यूशन सेंटर और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालन जैसी प्रथाओं पर रोक लगाता है।

6 गैर-निरोध नीति:

अधिनियम में कहा गया है कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से रोका या निकाला नहीं जा सकता। छात्रों के सीखने के अंतराल का प्रभावी ढंग से आकलन करने और उसे संबोधित करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली की शुरुआत की गई है।

7 स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी):

प्रधानाध्यापकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों से मिलकर स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन का आदेश देता है।

एस.एम.सी. को स्कूल के कामकाज की निगरानी करने और स्कूल सुधार योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है।

8 न्यायोचित एवं शिकायत निवारण तंत्र:

यह अधिनियम न्यायोचित है, तथा इसमें शिकायत निवारण तंत्र भी है जो व्यक्तियों को गैर-अनुपालन के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

9 निजी स्कूलों में आरक्षण:

निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है।

10 बालिका शिक्षा:

लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है और पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुरक्षा चिंताओं के कारण स्कूल छोड़ने जैसी चुनौतियों का समाधान किया गया है। इसका उद्देश्य लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित व्यापक सहायता प्रदान करना है।

11 सुरक्षा उपाय:

सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए दिशा-निर्देशों को लागू करके छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षा पर जोर दिया जाता है। मासिक धर्म स्वच्छता और किसी भी प्रकार के यौन शोषण के प्रति शून्य सहिष्णुता पर जागरूकता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:

आरटीई अधिनियम 2009 के लागू होने के बावजूद, चिंताएँ बनी हुई हैं, 10% से भी कम स्कूलों ने इसके सभी मानकों और मानदंडों का अनुपालन करने की सूचना दी है। चुनौतियों में शिक्षा के निजीकरण और देश में लंबे समय से चली आ रही शैक्षिक असमानताओं से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। अधिनियम का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है, और देश भर में इसके प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

29 जुलाई, 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में व्यापक सुधारों का प्रस्ताव है। एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1 सार्वभौमिक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:

प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

2 नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा:

एक नई संरचना की शुरूआत: 5+3+3+4, जो पारंपरिक 10+2 प्रणाली की जगह लेगी। कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों, या व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा।

3 आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता:

आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।

4 बहुभाषिकता और शिक्षण का माध्यम:

बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर।

कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

5 मूल्यांकन सुधार:

स्कूल वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार बोर्ड परीक्षा, जिसमें एक मुख्य परीक्षा और सुधार का अवसर शामिल है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र - परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की शुरुआत।

6 समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा:

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन कोष और विशेष शिक्षा क्षेत्र की शुरुआत।

7 शिक्षक भर्ती एवं प्रदर्शन:

शिक्षकों की भर्ती के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया। शिक्षकों के लिए योग्यता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन।

8 स्कूल परिसर और क्लस्टर:

स्कूल परिसरों और क्लस्टरों के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना।

9 व्यावसायिक शिक्षा:

स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रदर्शन।

10 उच्च शिक्षा सुधार:

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 50% तक बढ़ाना।

एकाधिक प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा।

11 राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए):

एनटीए उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करेगा।

12 शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट:

अकादमिक ऋण बैंक की स्थापना।

13 बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (एमईआरयू):

बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमईआरयू की स्थापना।

14 राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ):

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ की स्थापना।

15 'हल्का लेकिन सख्त' विनियमन:

उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एकल व्यापक निकाय - भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) की स्थापना।

16 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा:

जी.ई.आर. बढ़ाने के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

17 शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर।

18 व्यावसायिक शिक्षा एकीकरण:

व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया गया।

19 शिक्षक शिक्षा:

4-वर्षीय एकीकृत चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट शिक्षा स्नातक की शुरुआत।

20 राष्ट्रीय परामर्श मिशन:

राष्ट्रीय परामर्श मिशन की स्थापना।

21 राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ):

शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए एनईटीएफ का निर्माण।

22 साक्षरता लक्ष्य:

शत-प्रतिशत युवा एवं वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य।

23 व्यावसायीकरण का मुकाबला:

उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का मुकाबला करने और उसे रोकने के लिए अनेक तंत्र।

24 शिक्षा में सार्वजनिक निवेश:

शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर उसे यथाशीघ्र सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग।

25 समन्वय और गुणवत्ता पर ध्यान:

समन्वय सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत बनाना।

क्रियाविधि

यह शोध वर्णनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जो विभिन्न स्रोतों जैसे कि भारतीय सरकार की वेबसाइट, पत्रिकाएँ, जर्नल और अन्य प्रकाशनों से एकत्रित द्वितीयक डेटा पर निर्भर करता है। प्राप्त डेटा का गहन मूल्यांकन और विश्लेषण किया गया ताकि निष्कर्ष निकाले जा सकें।

निष्कर्ष

1964 में नियुक्त कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए व्यापक सिफारिशें प्रदान करके भारत के शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जिसमें सभी के लिए समग्र दृष्टिकोण और समान शैक्षिक अवसरों के महत्व पर जोर दिया गया।

NPE 1968 के आधार पर, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) का उद्देश्य उभरती चुनौतियों का समाधान करना और अधिक समावेशी और लचीली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 (NCF 2005) ने पाठ्यक्रम को और परिष्कृत किया, जिसमें शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया और आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया गया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE अधिनियम 2009) एक ऐतिहासिक कानून था, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य बनाया, जिसने भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को साकार करने में योगदान दिया। 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) पेश की गई, जिसमें बहु-विषयक दृष्टिकोण पर जोर देने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और शिक्षा को 21वीं सदी की उभरती जरूरतों के साथ संरेखित करने के माध्यम से एक आदर्श बदलाव को चिह्नित किया गया।

संदर्भ

1. <https://onlineschoolsindia.in/school-guide/evolution-of-the-education-policies-in-india/>
2. <https://byjus.com/free-ias-prep/the-evolution-of-indias-education-policy/>
3. <https://testbook.com/ias-preparation/kothari-commission>

4. <https://onlineschoolsindia.in/school-guide/key-highlights-of-the-national-policy-of-education-1968/>
5. https://ncert.nic.in/pdf/nep/Policy_1986_eng.pdf
6. <https://educercentre.com/national-policy-of-education-1986/>
7. <https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/nf2005-english.pdf>
8. <https://byjus.com/govt-exams/national-curriculum-framework-study-notes/>
9. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf
10. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847066>
11. <https://www.buddy4study.com/article/nep/>
12. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654058>
13. <https://exam.buddy4study.com/karnataka-government-decides-to-replace-national-education-policy-nep-2020>
14. <https://www.millenniumpost.in/k-reers/nep-2020-from-roto-to-real-525397>
15. <https://www.thelegitimateneeds.com/new-education-policy-modernizing-education-system/>